

राजस्थान सरकार
निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये राज. जयपुर
क्रमांक:-नर्सिंग/म.स्वा.कार्य./भर्ती 2018/13-00583/उदयपुर/2024/ दिनांक:-

--आदेश--

निदेशालय के आदेश क्रमांक 436, 437 दिनांक 28.04.2020, 467 दिनांक 03.06.2020, 392, 393 दिनांक 01.03.2021 एवं 1114, 1115 दिनांक 05.10.2020 द्वारा निम्नांकित अभ्यर्थियों को महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद पर नियुक्ति प्रदान की गयी है। कर्मिकों द्वारा दो वर्ष का परिवीक्षाकाल संतोषजनक पूर्ण करने पर राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 के नियम 31 के तहत नियमित/स्थाई करते हुये इन्हें परिवीक्षाकाल पूर्ण करने पर निदेशालय के आदेश क्रमांक ई-20/नर्सिंग/एएनएम/भर्ती-18/25/351 दिनांक 23.03.2022 एवं 386 दिनांक 30.03.2022 के क्रम में इनके नामों के सम्मुख अंकित कॉलम संख्या 8 में दर्शायी गई तिथि से राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित वेतन) नियम 2017 एवं वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 15(1)एफडी/रूल्स/2017 दिनांक 30.10.2017 एवं 09.12.2017 के अनुसरण में पुनरीक्षित वेतनमान 2017 में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद की पे मैट्रिक्स लेवल एल-08 में न्यूनतम वेतन 26300/- एवं अन्य भत्ते नियमानुसार स्वीकृत किया जाता है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/सुश्री/श्रीमती)	पदस्थापन जिला	जन्मतिथि	वास्तविक कार्यग्रहण तिथि	कार्मिक की काल्पनिक कार्यग्रहण तिथि जिससे परिवीक्षाकाल की गणना की जानी है	परिवीक्षाकाल पूर्ण करने की दिनांक	02 वर्ष पश्चात परिवीक्षा पूर्ण करने पर वेतन नियतन तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	सुशिला कुमारी	बांसवाड़ा	04.08.1988	22.12.2020	—	21.12.2022	22.12.2022
2.	सरिता शर्मा	सलूम्वर उदयपुर	02.03.1982	18.08.2020	01.05.2020	30.04.2022	01.05.2022
3.	किरण	उदयपुर	02.04.1992	03.05.2020	—	02.05.2022	03.05.2022

नोट- उपरोक्त सारणी के क्रम संख्या 02 पर अंकित कार्मिका को वित्त विभाग द्वारा प्रदत्त राय के अनुसार चयन सूची में वरिष्ठ कार्मिक को निकटतम कनिष्ठ कार्मिक द्वारा कार्यग्रहण दिनांक से काल्पनिक लाभ तथा वास्तविक कार्यग्रहण तिथि से नगद परिलाभ देय होंगे। उक्त आदेश वित्त विभाग की आईडी क्रमांक 212300488 दिनांक 05.07.2023 के अनुसरण में जारी किये जा रहे हैं।

(राकेश कुमार शर्मा)
निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-नर्सिंग/म.स्वा.कार्य./भर्ती 2018/13-00583/उदयपुर/2024/121
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

- संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन उदयपुर।
- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उदयपुर/सलूम्वर/बांसवाड़ा।
- संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी, जिला उदयपुर/सलूम्वर/बांसवाड़ा।
- सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
- प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि आदेश को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करे।
- आदेश/निजी पत्रावली।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

RajKaj Ref
7209825

Document certified by RAKESH KUMAR
SHARMA <rasrakeshsharma@gmail.com>

Digitally Signed by Rakesh
Kumar Sharma
Designation: Director
Date :22-05-2024 03:27:33